(363)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संख्या : 4/विधि 8–116/98–970(4) दिनांक : 12-8-2004 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित बिहार फार्मासिस्ट (प्रकिया, सेवाशर्त एवं भर्ती) नियमावली 2004 बनाते हैं।

<u>बिहार फार्मासिस्ट (प्रकिया सेवा शर्त एवं भर्ती) नियमावली–2004</u>

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ (i) नियमावली बिहार फर्मासिस्ट (प्रकिया सेवा शर्तें एवं भर्ती) नियमावली– 2004 कही जायेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत होगा ।

1.2 फर्मासिस्ट से अभिप्रेत है :– फर्मासिस्ट एवं मिश्रक । फर्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिये निम्नलिखित अर्हतायें आवश्यक है :–

(क) शैक्षणिक अर्हर्ता :– आई0एस0सी0 उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।

(ख) विशेष प्रावैधिक अर्हता :– प्रत्याशी को सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से "डिप्लोमा–इन– फार्मेसी " में न्यूनतम अर्हता के अंक प्राप्त हो । प्रत्याशी को बिहार फार्मेसी कॉसिल/ भारतीय फार्मेसी कॉसिल से पंजीकृत होना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त फार्मेसी में स्नातक या स्नात्कोत्तर योग्यताधारी भी इसके पात्र हो सकते है।, किन्तु उन्हें कोई वेटेज नहीं दिया जायेगा ।

1.3 आरक्षण :– पदों का आरक्षण बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति के अनुसार किया जायेगा ।

1.4 नियुक्ति का आधार एवं प्रकिया :–

(क) किसी भी पंचांग वर्ष में नियुक्ति हेतु कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा ।

(ख) बिहार कर्मचारी चयन आयोग उम्मीदवारों के नाम की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा ।

(ग) इस पद के नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

1.5 आयु :– उम्मीदवारों की आयु निम्न प्रकार निर्धारित होगी :–

(क)	न्यूनतम :–	18 वर्ष	
(ख)	अधिकतम:–	35 वर्ष (अनारक्षित)	
		पिछड़ा वर्ग/अ0पि0व0:–	37 वर्ष
		महिला (अनारक्षित,पि0व0 एवं अ0पि0व0):–	38 वर्ष
		अनु0 जाति/ अनु0ज0जाति(पु0 एवं महिला):–	40 वर्ष

1.6 विषय : फर्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा का विषय :–

फर्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा के लिए विषय का निर्धारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा ।

1.7 उम्मीदवारों का चयनः– उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा । लिखित परीक्षा का प्राप्तांक 85% एवं साक्षात्कार का प्राप्तांक 15% होगा

1.8 परीक्ष्यमान अवधिः– इस पद पर कार्यरत कर्मियों के लिए परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी ।

1.9 सम्पुष्टि :– सम्पुष्टि निदेशक प्रमुख द्वारा परीक्ष्यमान अवधि की समाप्ति के उपरान्त संतोषजनक सेवा पाये जाने पर की जायेगी ।

1.10 वेतनमान :– इस पद के समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित/ पुनरीक्षित वेतनमान लागू होगा ।

1.11 वरीयताः– वरीयता का निर्धारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत मेधा सूची एवं नियुक्ति के आधार पर किया जायेगा ।

1.12 सम्वर्ग :–इस पद का संवर्ग तृतीय श्रेणी का होगा । साथ ही इस पद का संवर्ग राज्यस्तरीय होगा एवं राज्य स्तर पर इसके नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ होंगे । एक प्रमंडल में चयनित उम्मीदवारों के पदस्थापन की अवधि 10 वर्षों की होगी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से तथा जनहित में उनका स्थानान्तरण कम अवधि में भी करने का अधिकार निदेशक प्रमुख को होगा ।

1.13 दंडित करने की शक्ति :– फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत कर्मचारियों पर बिहार एवं उड़ीसा सब औडिर्नेट सर्विसेस (डिसिप्लीन एवं अपील) नियमावली – 1935 के प्रावधान लागू होगें।

1.14 फर्मासिस्ट स्थापना का गठन एवं वर्गीकरण

(क) स्थापना संवर्ग में पदस्थापित किसी कर्मचारी को प्रावैधिक कर्मचारी होने के कारण अपना संवर्ग बदलने का अधिकार नहीं होगा ।

1.15 अवशिष्ट उपबंधः– इस संवर्ग में कर्मचारियों के लिए जहाँ किसी विषय के संबंध में इस नियमावली में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, उक्त संबंध मे बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली (मिस्लेनियस रूल्स) के नियम लागू होंगे ।

1.16 निरसन एवं व्यावृतिः– इस नियमावली के द्वारा पूर्व अधिसूचित एवं लागू सभी नियमावली निरसित समझी जायेंगी किन्तु इस नियमावली के पूर्व अधिसूचित एवं लागू नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी, की गयी कोई भी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी, मानों तत्समय यह नियमावली प्रवृत थी ।

12/8/2004

सरकार के अपर सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार

कृ0पृ0उ0–3

(361)

ज्ञापांक : 970(4) /पटना, दिनांक : 12-8-2004

प्रतिलिपि : अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना–7 को सूचनार्थ एवं **आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित** ।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुये इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें ।

12/8/2004

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : 970(4) /पटना, दिनांक : 12-8-2004

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/ वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री/ राज्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ आयुक्त एवं सचिव के सचिव/ सचिव (चि0शि0) के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों/ प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

12/8/2004

सरकार के अपर सचिव